


सेमेस्टर प्रणाली अकादमिक कैलेंडर सत्र 2016-2017

अकादमिक कार्य	प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर	द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठ सेमेस्टर
प्रारंभिक कक्षाएं/शून्य कक्षाएं/स्वॉट विश्लेषण	01 जुलाई से 13 जुलाई 2016 (10 कार्य दिवस)	11 जनवरी 2017 (01 कार्य दिवस)
शैक्षणिक एवं सतत समग्र मूल्यांकन कार्य	14 जुलाई से 17 नवम्बर 2016 (90 कार्य दिवस)	12 जनवरी से 6 मई 2017 (90 कार्य दिवस)
सी.सी.ई. कार्य	अक्टूबर प्रथम सप्ताह	अप्रैल प्रथम सप्ताह
परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	18 नवम्बर से 24 नवम्बर 2016 (07 कार्य दिवस)	7 मई से 9 मई 2017 (03 कार्य दिवस)
प्रायोगिक परीक्षाएँ (स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाएं)	20 अक्टूबर से 17 नवम्बर 2016 के मध्य	15 अप्रैल से 6 मई 2017 के मध्य
सेमेस्टर एवं एटीकेटी परीक्षा	25 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2016	10 मई से 10 जून 2017
परीक्षा परिणामों की घोषणा	15 जनवरी 2017 तक	25 जून 2017 तक
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) विद्यार्थियों के लिए	1 जनवरी से 10 जनवरी 2017 (10 दिवस)	11 जून से 30 जून 2017 (20 दिवस)
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) शिक्षकों के लिए	22 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2016 (10 दिवस)	27 मई से 15 जून 2017 (20 दिवस)

नोट :-

1. स्नातक कक्षाओं के आवेदन शिक्षक अभिभावक से तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के आवेदन विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रप्रेषण के उपरांत ही जमा होंगे।
2. परीक्षा कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार प्राचार्य एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक को होगा।
3. परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क जमा करने पर ही प्राप्त होगा।
4. स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की ए.टी.के.टी. प्राप्त छात्र/छात्राएं मुख्य परीक्षा के साथ सम सेमेस्टर के साथ सम सेमेस्टर की ए.टी.के.टी परीक्षा शुल्क एवं विषम की ए.टी.के.टी. का परीक्षा फार्म विषम सेमेस्टर की परीक्षा शुल्क के साथ जमा करेंगे।
5. शासन के आदेशानुसार स्नातक पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की ए.टी.के.टी. की विशेष परीक्षा इसी सत्र से परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक माह पश्चात् आयोजित की जायेगी। (जो छात्र स्नातक षष्ठ सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं केवल उन्हीं छात्रों के लिए विशेष ए.टी.के.टी. परीक्षा आयोजित होगी)।
6. छात्र अनुत्तीर्ण होने पर अगले सत्र में Ex (भूतपूर्व) छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होगा तथा दोनों सेमेस्टर भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा देगा।
7. स्नातक परीक्षा पांच वर्षों में एवं स्नातकोत्तर परीक्षा तीन वर्षों में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. प्रायोगिक परीक्षा सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व सम्पन्न की जावेगी।
9. सेमेस्टर परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। शासन के आदेशानुसार केवल पुनर्गणना की जाती है।
10. नकल प्रकरण के संबंध में समिति का निर्णय मान्य होगा। सी.सी.ई., प्रोजेक्ट, इन्टर्नशिप के अंक सेमेस्टर परीक्षा के 15 दिवस पूर्व स्वशासी में भेजना सुनिश्चित किया जावे। समस्त विभागाध्यक्ष समस्त कक्षाओं के सी.सी.ई., प्रोजेक्ट, इन्टर्नशिप के अंक स्वशासी में समय पर पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे।

गया।



परीक्षा नियंत्रक



प्राचार्य